

नियम 6 : संयुक्त उद्ग्रहण की विधिमान्यता

- (1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04** में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा।
- (3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04** में आवेदन फाइल करेगा।
- (4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-05** में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न इंकार कर दिया जाए।
- (5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस के **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-06** में उत्तर की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने के विकल्प को इनकार करते हुए **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07** में आदेश जारी करेगा।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07** में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01** में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07** में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित इनपुटों के स्टॉक और अ) तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।
- (7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।